न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर
निगरानी 593-I-15

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

श्री हरिन्द्र सिंह जादौन द्वारा आज दि. 23-3-15 को प्रस्तुत
23-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अमना पुत्र श्री कामता नाई आयु वर्ष व्यवसाय कृषि कार्य निवासी ग्राम महिलवार तेहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जर्ये कलैक्टर महोदय, छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0

...........अनावेदक

हरिन्द्र सिंह जादौन

पुनरीक्षण याचिका, अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.01.2015 पारित द्वारा श्रीमान अपर कलैक्टर, जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 46/अ-19(4)/स्व0 निगम/05-06 वउन्वान म0प्र0 शासन बनाम अमना वल्द कामता नाई में पारित किया गया।

23/3/015

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः--

1. यहकि, ग्राम महिलवार की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 994/2 रकवा 1.619 हैक्टेयर है, उक्त भूमि सन् 1997-98 में बंजर भूमि होकर वर्ष 1997-98 के खसरे में दर्ज थी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-593-एक/2015 जिला छतरपुर अमना विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 46/अ-19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 19-01-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-03-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की	

	सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 7.1.19	